

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 11]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 10 जनवरी 2011—पौष 20, शक 1932

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2011

क्र. एफ-18-2-2010-साठ.—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-1-01-2009-तेरह, दिनांक 17 फरवरी 2010 में निम्नलिखित संशोधित करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, खण्ड 3 में,—

- (एक) पार्श्व शीर्षक में, अक्षर “आई एस आई /बी ई ई” के स्थान पर, अक्षर तथा शब्द “आई एस आई और बी ई ई” स्थापित किए जाएं;
- (दो) उपखण्ड (1) में, अक्षर “आई एस आई /बी ई ई” के स्थान पर, अक्षर तथा शब्द “आई एस आई और बी ई ई” स्थापित किए जाएं;
- (तीन) उपखण्ड (2) में, अक्षर “बी ई ई” के स्थान पर, अक्षर तथा शब्द “आई एस आई और बी ई ई” स्थापित किए जाएं;
- (चार) उपखण्ड (2) के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—

“टिप्पण: खण्ड 3 के उपबंध केवल ऐसे उपस्करों को लागू होंगे जो बी ई ई द्वारा स्टार रेटेड श्रेणी के आधीन प्रमाणित किए गए हों.”

No. F-18-2-2010-LX.—In exercise of the powers conferred by Section 18 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the State Government, hereby, makes the following amendments in the Energy Department's Notification No. F-1-01-2009-XIII, dated 17th February, 2010, namely:—

#### AMENDMENT

In the said Notification, in clause 3,

- (i) in the Marginal heading, for the letters "ISI/BEE", the letters and word "ISI and BEE" shall be substituted;
- (ii) in sub-clause (1), for the letters "ISI/BEE", the letters and word "ISI and BEE" shall be substituted;
- (iii) in sub-clause (2), for the letters "BEE", the letters and word "ISI and BEE" shall be substituted;
- (iv) after sub-clause (2), the following note shall be inserted, namely:—

"Note : The provisions of clause 3 shall only be applicable to such equipments which are also certified under star rated category by BEE."

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश चौंसिया, उपसचिव.